



**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O.,

BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. 762 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 762**

**विषय/Sub: निकल बेस सूपर अलॉय एई 868 / Nickel Base Super Alloy AE 868**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, कंचनबाग पी.ओ, हैदराबाद - 500 058 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " निकल बेस सूपर अलॉय एई 868 " को पत्र सं. सेमिलेक/5070/टीए-762 दिनांक 07 फरवरी 1996 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 762 जारी किया था तदुपरांत पत्र संदर्भ सं. सेमिलेक/5070/टीए-762/2आर द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2008 को नवीकरण किया था जो कि 31 दिसंबर 2012 तक वैध था।

*This is to state that the "Nickel Base Super Alloy AE 868", developed & manufactured by M/s. Mishra Dhatu Nigam Limited, Kanchanbagh P.O, Hyderabad- 500 058, has been issued with Type Approval No. 762 vide letter No. CEMILAC/5070/TA-762 dated 07<sup>th</sup> Feb 1996 and subsequently renewed on 18<sup>th</sup> Jan 2008 Vide letter Ref No. CEMILAC/5070/TA-762/2R, and was valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2012.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितंबर 2013 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(पदार्थ), डी आर डी ओ, हैदराबाद - 500 058, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।


*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 1<sup>st</sup> Sept 2013 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2018 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked . For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Materials), DRDO, Hyderabad - 500 058, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections if any and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.*

सं./No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 762-3R

दिनांक/Date : 26 Sept 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

25/9/13

  
(डॉ.के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)  
महा निदेशक (एरो)/ Director General (Aero)  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)